उत्तराखण्ड शासन
1025 औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्या /VII-1/2015/147–ख/2001 T.C.-1
देहरादून: दिनांक : 22 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश भू–तत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है—

उत्तराखण्ड भू–तत्व एवं खनिकर्म सेवा (संशोधन)नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भू–तत्व एवं खनिकर्म सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश भू–तत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 5 में स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायंगे, अर्थात –

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
5.(1) अपर निदेशक : मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक और उप–निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा। (2) संयुक्त निदेशक : मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र का विस्तार मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भूवैज्ञानिकों और ज्येष्ठ भू–रसायनज्ञों (भू–विज्ञान) को सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिन को इस रूप में पाचं वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो।	5.(1) अपर निदेशक : मौलिक रूप से भूवैज्ञानिक शाखा में नियुक्त संयुक्त निदेशक एवं मौलिक रूप से खनिकर्म शाखा में नियुक्त संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी में से वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। **(2) संयुक्त निदेशक (भूवैज्ञानिक शाखा) –** भूवैज्ञानिक शाखा में नियुक्त उप निदेशक/भूवैज्ञानिकों में से जिन्होंने उप निदेशक/भूवैज्ञानिक के रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। **(3) संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी (खनिकर्म शाखा)–** खनिकर्म शाखा में नियुक्त उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी के रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) ज्येष्ठ खान अधिकारी : ऐसे स्थाई खान अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, पदोन्नति द्वारा।	(4) उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी– ऐसे स्थाई खान अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को खान अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की है, पदोन्नति द्वारा।
(4) उप निदेशक : मौलिक रूप से नियुक्त भू–वैज्ञानिकों और ज्येष्ठ भू–रसायनज्ञ (भू–विज्ञान) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में पांच वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(5) उप निदेशक/भूवैज्ञानिक– ऐसे स्थाई सहायक भू–वैज्ञानिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक भू–वैज्ञानिक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

नियम 8 के खण्ड (ख)के भाग(2) का संशोधन

3\. मूल नियमावली के नियम 8 के खण्ड (ख) के भाग (2) में सहायक भू–वैज्ञानिक की शैक्षिक अर्हता भू–विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण होगी।

नियम 20 के उपनियम(1) का प्रतिस्थापन

4\. मूल नियमावली के नियम 20 में उपनियम (1) के पश्चात् एक नया परन्तुक निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

" परन्तु यह कि अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक को छः माह की अवधि के लिए, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक एवं उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी एवं सहायक भूवैज्ञानिक को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।"

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of '**the Constitution of India**', the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1025/VII-1/2015/147-ख/2001T.C.-1 Dehradun, dated: 22.7.2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Industrial Development Section
No. 1025 /VII-1 /2015/147-b/ 2001T.C.-1
Dehradun, Dated : 22 July, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of '**the Constitution of India**' the Governor is pleased to further amend the Uttar Pradesh Geology and Mining Service Rules, 1983(as applicable to the State of Uttrakhand) to the context of the State of Uttarakhand as follows; namely:-

The Uttarakhand Geology and Mining Service(Amendment) Rules, 2015

Short Title and Commencement	**1.**	**(1)** These rules may be called the Uttarakhand Geology and Mining Service (Amendment) Rules, 2015. **(2)** It shall come into force at once.
Amendment of rule 5	**2.**	In the Uttar Pradesh Geology and Mining Service Rules, 1983(as applicable to the State of Uttrakhand) (hereinafter referred to as Principle Rule) Rule 5 given in column-1 shall be substituted by column-2 as follows, namely-

Column-1 **Existing rule**	**column-2** **Hereby substituted rule**
5.(1) Additional Director: By promotion from amongst substantively appointed Joint Director and Deputy Director's.	**5.(1) Additional Director:** By promotion on the basis of seniority and merit from amongst substantively appointed Joint Director's in the Geologist Branch and from amongst substantively appointed Joint Director/Chief Mining Officers in the Mining Branch.
(2) Joint Director: By promotion from amongst substantively appointed Deputy Director's;	**(2) Joint Director (Geologist Branch) :** By promotion from amongst Deputy Director/ Geologist in the Geologist Branch who have completed minimum three years regular service as such on the first day of the year of recruitment.

Provided that if the eligible candidate is not available for promotion, than the extension of eligibility may be include for substantively appointed Geologist and senior Geo-chemist,(Geology) who have completed minimum five years substantive service as such on the first day of the year of recruitment	**(3) Joint Director/ Chief Mining Officer (Mining Branch):** By promotion from amongst Deputy Director/ Senior Mining Officer in the mining branch who have completed minimum three years regular service as such on the first day of the year of recruitment.
(3) Senior Mines Officer: By promotion from such permanent Mining Officers who have completed minimum five years services on the first day of the year of recruitment.	**(4) Deputy Director/Senior Mines Officer**: By Promotion such permanent Mining Officers who have completed minimum five years service on the first day of the year of recruitment.
(4) Deputy Director: By promotion from amongst substantively appointed Geologist and Senior Geo-chemist (Geologist) who have completed minimum five years substantive services on the first day of the year of recruitment.	**(5) Deputy Director/ Geologist** : From such permanent Assistant Geologist who have completed minimum five years service as such on the first day of the year of recruitment.

Amendment of part (2) of Clause (b) of rule 8

3. The educational qualification of Assistant Geologist in part (2) of Clause (b) of rule 8 in the Principle rules shall be graduate in Geologist.

Substitution of Sub-rule(1) of rule 20

4. In sub-rule(1) of rule 20 of the Principle Rule, after a new proviso shall be inserted as follows, namely—

"Provided that the Additional Director and Joint Director for a period of six months and Deputy Director/ Geologist and Deputy Director/Senior Mining Officer shall be placed on probation for a period of one year ."

By order,

(Rakesh Sharma)

Additional Chief Secretary.